राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः एफ 13(10)(5)खा.वि./आवंटन/2013 जयपुर, दिनांक 06.10.2017

टास्क फोर्स की तृतीय बैठक दिनांक 4 अक्टूबर, 2017 का कार्यवाही विवरण :–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर, 2017 को सांय 5:00 बजे सचिवालय के समिति कक्ष संख्या– 01 में आयोजित की गई। जिसमे भाग लेने वाले अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट– 1 पर अवलोकनीय है।

सर्वप्रथम शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान मे भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 446 लाख पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने के लिए प्रतिवर्ष 27.91 लाख मै0 टन गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 419 लाख लाभार्थियों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। शासन सचिव (खाद्य) द्वारा टास्क फोर्स के गठन की पृष्ठभूमि की जानकारी देते हुए अब तक समिति द्वारा लिये गये निर्णयों और उनकी अनुपालना से अवगत कराया गया। समिति के समक्ष विभाग द्वारा तृतीय बैठक मे प्रस्तुत किये गये एजेण्डा बिन्दुओ पर सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श करने के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :–

1. शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई, 2017 द्वारा निर्धारित समावेशन सूची में एचआईवी रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार को समावेशन सूची में जोडने का निर्णय लिया गया। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समावेशन सूची में सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं उनके परिवार को भी योजना में जोडने का प्रस्ताव रखा गया। जिसे समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जाने के विभागीय प्रस्तावों के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा टास्क फोर्स की उप समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्य होगें:—

1. अति0 मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. शासन सचिव, खाद्य विभाग।
5. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।

समिति द्वारा योजना में सम्मिलित श्रेणियां (कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार, घरेलू श्रमिक एवं स्ट्रीट वेण्डर) तथा दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रस्तावित 09 नवीन श्रेणियों (हममाल एवं तुलावटी, बीडी श्रमिक, बुनकर एवं शिल्पी, केश शिल्पी, बहु–विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति, व्यवसायिक वाहन चालक/परिचालक, पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार तथा प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सीज (विनियमन) नियम, 2006 में पंजीकृत सुरक्षा गार्ड एवं होमगार्ड) तथा सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समावेशन सूची में सम्मिलित करते हुए लाभान्वित किये जाने के संबंध में परीक्षण कर (नवीन श्रेणी, उनके समावेशन का आधार एवं दस्तावेजी साक्ष्य) अपनी रिपोर्ट 2 सप्ताह (15 दिवस) में अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगी।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों में से वह परिवार जिनके द्वारा विगत 01 वर्ष से राशन प्राप्त नही किया है। उन सभी परिवारों को प्रथम एवं दितीय श्रेणी (Yes/No) में शामिल करने के स्थान पर तृतीय श्रेणी में शामिल करते हुए उनके स्थान पर नये पात्र व्यक्तियों को योजना में शामिल करने के निर्णय को अनुमोदित किया।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में टीएसपी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य (69%) से ज्यादा चयन पर विभाग को शिथिलन प्रदान की गई।

5. भारत सरकार द्वारा प्रदेश की कल्याणकारी संस्थाओं एवं एस.टी., एस.सी एवं ओबीसी वर्गो के हॉस्टलो के लिए 51 हजार मै0 टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग को भारत सरकार की इस योजना का लाभ लिये जाने के लिए निर्देशित किया गया और खाद्य विभाग को उक्त योजना की विस्तृत जानकारी एवं दिशा–निर्देश उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया।

6. शासन सचिव (खाद्य) द्वारा समिति का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटीशन (सिविल) 857/2015– स्वराज अभियान बनाम भारत सरकार व अन्य के संबंध में दिये गये निर्णय की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराया कि अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति किया जाना आदिनांक शेष है। इस संबंध में खाद्य विभाग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) को जिला शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त किये जाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर प्रमुख सचिव, विधि विभाग को प्रेषित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया।

7. शासन सचिव (खाद्य) द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2011–12 की पालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सहरिया परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है परन्तु नवीन सहरिया परिवार जो बीपीएल योजना में चयनित होते हुए भी अन्त्योदय अन्न योजना के अनुसार 35 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क प्राप्त कर रहे है। बीपीएल योजना में चयनित होने के कारण उनकी पात्रता नियमानुसार 5 किलोग्राम प्रति यूनिट होती है तथा पॉस मशीन में भी इसी अनुसार प्रावधान है। पॉस मशीन में बीपीएल योजना के परिवारों के लिए 35 किलोग्राम गेहूं का प्रावधान नही होने के कारण इनको वर्तमान में ऑफ–लाईन वितरण किया जा रहा है। बजट घोषणा के अनुसार सहरिया परिवारों को खाद्यान्न का व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है सहरिया परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना में सम्मिलित किये जाने एवं इस हेतु अतिरिक्त व्ययभार का आंकलन कर प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने पर समिति द्वारा अनुमोदित किया गया ।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(प्रीति माथुर)
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधि विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रह विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम विभाग, जयपुर।
16. निजी सचिव, अति0 खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
17. निजी सचिव, आयुक्त, मि—डे—मील, जयपुर।
18. निजी सचिव, निदेशक, जनगणना विभाग, जयपुर।
19. निजी सचिव, आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
20. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक कल्याण विभाग, जयपुर।
21. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
22. वरिष्ठ निजी सहायक, उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
23. निजी सहायक, सहायक आयुक्त (खाद्य), खाद्य विभाग, जयपुर।
24. निजी सहायक, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर।
25. निजी सहायक, जनसम्पर्क अधिकारी, खाद्य विभाग, जयपुर।
26. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, जयपुर।
27. विभागीय प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि सभी सम्बन्धित को ई—मेल करना सुनिश्चित करें।
28. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

परिशिष्ठ -अ

दिनांक 04.10.2017 को हुई बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.स	नाम	पद एवं विभाग
1	श्री जे.सी. मोहन्ती	अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर
2	श्री खेमराज	अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर
3	श्री मंजीत सिह	प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, जयपुर
4	श्री दीपक उप्रेती	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, जयपुर
5	श्रीमती वीनू गुप्ता	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
6	श्री अखिल अरोडा	प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर
7	श्री नवीन महाजन	प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर
8	श्री मनोज व्यास	प्रमुख सचिव, विधि विभाग, जयपुर
9	डॉ. समित शर्मा	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
10	श्रीमती शुची शर्मा	निदेशक, आई.सी.डी.एस., जयपुर
11	श्री प्रमिल माथुर	एस.एस. विधि विभाग, जयपुर
12	डॉ. हरसहाय	अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जयपुर
13	श्री एस.एस. सोहता	निदेशक, जनगणना विभाग, जयपुर
14	श्री वेद सिंह	निदेशक, एम.डी.एम., जयपुर
15	श्री एस.के. सोंलकी	विशिष्ट सचिव, विधि विभाग, जयपुर
16	डॉ. वी.के. माथुर	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
17	श्रीचन्द टाटरीवाल	संयुक्त आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर
18	श्री उम्मेद सिंह	वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर
19	श्रीमती प्रीति माथुर	उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर
20	श्रीमती राजश्री सांखला	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर
21	डॉ. एस.सी. गुप्ता	तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर
22	श्री रामफूल गुर्जर	जनसम्पर्क अधिकारी, खाद्य विभाग, जयपुर